

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार, (RAS)

राजस्थान वाद संख्या :- 81/2025 GCMS 2025/161

वादीगण:-

1. मदन पुत्र कालूराम जाति रेगर निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
2. महावीर पुत्र मुनाराम जाति बावरी निवासी पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण :-

1. नानगराम पुत्र गोरधन
2. जितेन्द्र पुत्र भीवाराम
3. संतीदेवी पुत्री भीवाराम
4. सुशीला पुत्री भीवाराम
5. हीराराम पुत्र भीवाराम
6. अणची देवी पत्नी भीवाराम जाति समस्त मेहरा
7. कमला देवी पत्नी किशनाराम
8. गोरधन पुत्र किशनाराम
9. दीपाराम पुत्र किशनाराम
10. चुका देवी पुत्री दल्लाराम
11. बिरदाराम पुत्र दल्लाराम
12. मोहनराम पुत्र दल्लाराम
13. रामदेव पुत्र किशनाराम
14. श्रवणराम पुत्र दल्लाराम
15. सुवाराम पुत्र दल्लाराम
16. चिमनाराम पुत्र हिराराम समस्त जाति मेघवाल
17. छीतर पुत्र हीराराम जाति मेघवंशी
18. परमाराम पुत्र दोलाराम
19. मुकेश पुत्र दोलाराम समस्त जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
20. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
21. उप पंजीयन अधिकारी कुचामन सिटी
22. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित :- श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 2 - वाद सं :- 81 / 2025 मदन बनाम नानगराम वगैराह
- निर्णय :-

दिनांक :- 16/06/2025

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भूअ./2025/956 दिनांक 16.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 13.06.2025 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 03.06.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियों ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काशत होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामन सिटी में निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार काबिज है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	मदन पुत्र कालूराम जाति रेगर सा. आनन्दपुरा खातेदार हिस्सा 2/3	393/1	0.04	चाही 1 जाव 1
	महावीर पुत्र मुनाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार हिस्सा 1/3	393/2	1.21	चाही 1 जाव 1
		02	1.25	
2.	अणची देवी पत्नी भीवाराम हिस्सा 1250/37500	392	0.03	गै.मु. कुआं



जिल्हाधिकारी
कुचामन सिटी (उडवाना-कुचामन)

कमला देवी पत्नी किशनाराम हिस्सा 223/37500 गोरधन पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500 चुका देवी पुत्री दल्लाराम हिस्सा 893/37500 चिमनाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500 छीतर पुत्र हीराराम हिस्सा 6250/37500 जितेन्द्र पुत्र भीवाराम हिस्सा 1250/37500 दीपाराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500 नानगराम पुत्र गोरधन हिस्सा 6250/37500 परमाराम पुत्र दोलाराम हिस्सा 6250/37500 (रहन बदस्तूर) विरदाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500 मुकेश पुत्र दोलाराम हिस्सा 6250/37500 मोहन पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500 रामदेव पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500 श्रवणराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500 सन्ती देवी पुत्री भीवाराम हिस्सा 1250/37500 सुवाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500 सुशीला पुत्री भीवाराम हिस्सा 1250/37500 हीराराम पुत्र भीवाराम हिस्सा 1250/37500	393/3	3.72	चाही 1 जाव 1
--	-------	------	-----------------

पक्षकारान मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काश्त नजरी नक्शा एवं टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

:- आदेश :-

वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोट तहसील कुचामनसिटी मे निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	मदन पुत्र कालूराम जाति रेगर सा. आनन्दपुरा खातेदार हिस्सा 2/3	393/1	0.04	चाही 1 जाव 1
	महावीर पुत्र मुनाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार हिस्सा 1/3	393/2	1.21	चाही 1 जाव 1
		02	1.25	
2.	अण्ची देवी पत्नी भीवाराम हिस्सा 1250/37500	392	0.03	गै.मु. कुआं
	कमला देवी पत्नी किशनाराम हिस्सा 223/37500 गोरधन पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500	393/3	3.72	चाही 1



(Signature)
जिल्हाधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)

	02	3.75	जाव 1
चुका देवी पुत्री दल्लाराम हिस्सा 893 / 37500 चिमनाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893 / 37500 छीतर पुत्र हीराराम हिस्सा 6250 / 37500 जितेन्द्र पुत्र भीवाराम हिस्सा 1250 / 37500 दीपाराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 223 / 37500 नानगराम पुत्र गोरधन हिस्सा 6250 / 37500 परमाराम पुत्र दोलाराम हिस्सा 6250 / 37500 (रहन बदस्तूर) बिरदाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893 / 37500 मुकेश पुत्र दोलाराम हिस्सा 6250 / 37500 मोहन पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893 / 37500 रामदेव पुत्र किशनाराम हिस्सा 223 / 37500 श्रवणराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893 / 37500 सन्ती देवी पुत्री भीवाराम हिस्सा 1250 / 37500 सुवाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893 / 37500 सुशीला पुत्री भीवाराम हिस्सा 1250 / 37500 हीराराम पुत्र भीवाराम हिस्सा 1250 / 37500			

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 13.06.2025 एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-I RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार, (RAS)

राजस्थ वाद संख्या :- 81 / 2025 GCMS 2025/161

वादीगण:-

1. मदन पुत्र कालूराम जाति रेगर निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
2. महावीर पुत्र मुनाराम जाति बावरी निवासी पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण :-

1. नानगराम पुत्र गोरधन
 2. जितेन्द्र पुत्र भीवाराम
 3. संतीदेवी पुत्री भीवाराम
 4. सुशीला पुत्री भीवाराम
 5. हीराराम पुत्र भीवाराम
 6. अणची देवी पत्नी भीवाराम जाति समस्त मेहरा
 7. कमला देवी पत्नी किशनाराम
 8. गोरधन पुत्र किशनाराम
 9. दीपाराम पुत्र किशनाराम
 10. चुका देवी पुत्री दल्लाराम
 11. बिरदाराम पुत्र दल्लाराम
 12. मोहनराम पुत्र दल्लाराम
 13. रामदेव पुत्र किशनाराम
 14. श्रवणराम पुत्र दल्लाराम
 15. सुवाराम पुत्र दल्लाराम
 16. चिमनाराम पुत्र हिराराम समस्त जाति मेघवाल
 17. छीतर पुत्र हीराराम जाति मेघवंशी
 18. परमाराम पुत्र दोलाराम
 19. मुकेश पुत्र दोलाराम समस्त जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
 20. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन
 21. उप पंजीयन अधिकारी कुचामन सिटी
 22. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
- वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188**

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी.....
मिनजानिब मुदई रु-बरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 6 - वाद सं :-81/2025 मदन बनाम नानगराम वगैरह

पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी में निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर में	किस्म
1.	मदन पुत्र कातूराम जाति रेगर सा. आनन्दपुरा खातेदार हिस्सा 2/3	393/1	0.04	चाही 1 जाव 1
	महावीर पुत्र मुनाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार हिस्सा 1/3	393/2	1.21	चाही 1 जाव 1
		02	1.25	
2.	अण्डी देवी पत्नी भीवाराम हिस्सा 1250/37500	392	0.03	गै.मु. कुआं चाही 1 जाव 1
	कमला देवी पत्नी किशनाराम हिस्सा 223/37500	393/3	3.72	
	गोरधन पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500			
	चुका देवी पुत्री दल्लाराम हिस्सा 893/37500			
	चिमनाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500	02	3.75	
	छीतर पुत्र हीराराम हिस्सा 6250/37500			
	जितेन्द्र पुत्र भीवाराम हिस्सा 1250/37500			
	दीपाराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500			
	नानगराम पुत्र गोरधन हिस्सा 6250/37500			
	परमाराम पुत्र दोलाराम हिस्सा 6250/37500 (रहन बदस्तूर)			
	बिरदाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500			
	मुकेश पुत्र दोलाराम हिस्सा 6250/37500			
	मोहन पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500			
	रामदेव पुत्र किशनाराम हिस्सा 223/37500			
	श्रवणराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500			
	सन्ती देवी पुत्री भीवाराम हिस्सा 1250/37500			
	सुवाराम पुत्र दल्लाराम हिस्सा 893/37500			
	सुशीला पुत्री भीवाराम हिस्सा 1250/37500			
	हीराराम पुत्र भीवाराम हिस्सा 1250/37500			

निज मुबलिंग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..16...माह ..06..... सन्.2025..... को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)
आहदी.....

(मुहर)

	मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल				खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन				फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर				बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा				मुतफरिक		
मीजान				मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)

